



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042025-262265
CG-DL-E-03042025-262265

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1589]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/चैत्र 13, 1947

No. 1589]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/CHAITRA 13, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2025

सं. 21/2025 - सीमा शुल्क (गै.टे)

का.आ. 1608(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 और 149 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शिपिंग बिल (विलेख आधारित योजना के संबंध में निर्यात परांत परिवर्तन) विनियम, 2022 को, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या लोप की गई बातों के अलावा, छोड़कर, प्रतिस्थापन करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.— (1) इन विनियमों को निर्यात प्रविष्टि (विलेख आधारित योजना के संबंध में निर्यात परांत परिवर्तन) विनियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) है;
- (ख) "परिवर्तन" से अभिप्राय निर्यात माल के निर्यात हो जाने के पश्चात निर्यात प्रविष्टि में की गई घोषणा का किसी एक या अधिक विलेख आधारित योजना में संशोधन से है;
- (ग) "निर्यात प्रविष्टि" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 के खंड (16) में परिभाषित निर्यात से संबंधित प्रविष्टि है और इसमें धारा 50 के तहत पोत पत्र या निर्यात बिलों में की गई प्रविष्टि या अधिनियम की धारा 84 के तहत डाक या कूरियर द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल के लिए की गई प्रविष्टियां शामिल हैं;
- (घ) "विलेख आधारित योजना" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 28कक की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 में विनिर्दिष्ट विलेख के उपयोग से संबंधित योजना है;
- (ङ) "क्षेत्राधिकार वाले मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त" से अभिप्राय प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त जिसका उस सीमा शुल्क स्टेशन पर क्षेत्राधिकार है जहां से निर्यात हुआ है;
- (च) "क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क आयुक्त" से अभिप्राय प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त जिसका उस सीमा शुल्क स्टेशन पर क्षेत्राधिकार है जहां से निर्यात हुआ है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. निर्यात प्रविष्टि के निर्यात परांत परिवर्तन हेतु आवेदन करने का तरीका और समय-सीमा- (1) परिवर्तन हेतु आवेदन निर्यातक द्वारा अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत माल की निकासी की तारीख से या अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत की गई प्रविष्टि की तारीख से, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर लिखित रूप में भरा जाएगा:

बशर्ते कि क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क आयुक्त, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छह महीने से अनधिक तक समय-सीमा बढ़ा सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जिनके कारण निर्यातक उप-विनियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन दाखिल करने से वंचित रह गया था:

बशर्ते कि क्षेत्राधिकार वाले मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छह महीने से अनधिक तक समय-सीमा बढ़ा सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जिनके कारण निर्यातक एक वर्ष और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए आवेदन दाखिल करने से वंचित रह गया था।

- (2) जहां 22 फरवरी, 2022 से पहले निर्यात प्रविष्टि दाखिल की गई है, उप-विनियम (1) के तहत निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस दिन ये विनियम लागू हुए हैं।
- (3) जहां उप-विनियम (1) के तहत आवेदन दाखिल करने को किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित स्थगन या निषेधाज्ञा के कारण रोका गया था, तो उसमें निर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय, स्थगन या आदेश की निरंतरता की अवधि, जिस दिन इसे जारी किया गया था, और जिस दिन इसे वापस लिया गया था, को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (4) क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क आयुक्त अपने विवेकानुसार निर्यात प्रविष्टि के परिवर्तन को निम्नलिखित के अध्यक्षीन प्राधिकृत कर सकता है, अर्थात्: -

- (क) दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, जो माल के निर्यात के समय मौजूद हो;
- (ख) विनियम 4 में परिवर्तन के लिए दी गई शर्तों और प्रतिबंधों के अध्यक्षीन;
- (ग) शुल्क (सीमा शुल्क दस्तावेज) विनियमन, 1970 के अनुसार शुल्क के भुगतान पर।

(5) उप-विनियम (1) के उपबंध के अध्याधीन, क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क आयुक्त, जहां ऐसा करना संभव हो, परिवर्तन के लिए प्रत्येक आवेदन पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निर्णय लेगा, जिस तारीख को वह दाखिल किया गया है।

4. निर्यात प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए शर्तें और प्रतिबंध- निर्यात प्रविष्टि का परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अध्याधीन होगा, अर्थात्: -

- (क) उस विलेख आधारित योजना की सभी शर्तों की पूर्ति, जिनमें परिवर्तन की मांग की जा रही है;
- (ख) निर्यातक ने उस विलेख आधारित योजना का लाभ नहीं उठाया है या प्राप्त लाभ को वापस कर दिया है, जिससे परिवर्तन की मांग की जा रही है या प्रति-अदायगी की राशि या किसी अन्य लाभ को वापस कर दिया है, यदि प्रतिअदायगी या ऐसी योजना उस योजना में स्वीकार्य नहीं है, जिसमें परिवर्तन की मांग की जा रही है, जैसा भी मामला हो;
- (ग) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में निर्यात प्रविष्टि की प्रस्तुति से संबंधित किसी भी विनियम या अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है;
- (घ) ऐसे निर्यातों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत निर्यातक के विरुद्ध कोई उल्लंघन नहीं देखा गया है या जांच शुरू नहीं की गई है;
- (ङ) जिस निर्यात प्रविष्टि में परिवर्तन की मांग की गई है, वह है जो विलेख आधारित योजना के संबंध में, या प्रति-अदायगी के तहत या किसी निर्यात दायित्व या उसके संयोजन की पूर्ति के लिए दायर की गई थी।

5. शिपिंग बिल (विलेख आधारित योजना के संबंध में निर्यात परांत परिवर्तन) विनियम, 2022 और उसके किसी भी संगत उपबंधों के अनुसरण में किसी भी नियम, अधिसूचना, परिपत्र, अनुदेश, स्थायी आदेश, ट्रेड नोटिस या अन्य आदेश में संदर्भ को इन विनियमों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

[फा. सं. 450/108/2017- सीमा शुल्क IV]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2025

No. 21/2025-Customs (N.T.)

S.O. 1608(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with sections 84 and 149 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Shipping Bill (Post export conversion in relation to Instrument Based Scheme) Regulations, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Export Entry (Post export conversion in relation to instrument based scheme) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (b) “conversion” means amendment of the declaration made in the export entry to any one or more instrument based scheme, after the export goods have been exported;
- (c) “export entry” means entry relating to export as defined in clause (16) of section 2 of the Act and includes an entry made in the Shipping Bills or Bills of Exports under section 50 or entries made for goods to be exported by post or courier under section 84 of the Act;

- (d) “instrument based scheme” means a scheme involving utilisation of instrument referred to in explanation 1 to sub-section (1) of section 28AAA of the Act;
- (e) “jurisdictional Chief Commissioner of Customs” means the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner of Customs who has jurisdiction over the Customs station from where the export has taken place;
- (f) “jurisdictional Commissioner of Customs” means the Principal Commissioner or Commissioner of Customs who has jurisdiction over the Customs station from where the export has taken place.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Manner and time limit for applying for post export conversion of export entry.— (1) The application for conversion shall be filled by an exporter in writing within one year from the date of clearance of goods under sub-section (1) of section 51 or section 69 of the Act or from the date of entry made under section 84 of the Act, as the case may be:

Provided that the jurisdictional Commissioner of Customs may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding six months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the exporter from filing an application within the period specified under sub-regulation (1):

Provided further that the jurisdictional Chief Commissioner of Customs may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding six months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the exporter from filing an application for a period exceeding one year and six months.

- (2) Where an export entry is filed before the 22nd February, 2022, the period of one year specified under sub-regulation (1) shall be reckoned from the date on which these regulations have come into force.
- (3) Where filing of an application under sub-regulation (1) was prevented due to stay or an injunction passed by any court or tribunal, then, in computing the period specified therein, the period of continuance of the stay or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn, shall be excluded.
- (4) The jurisdictional Commissioner of Customs, may, in his discretion, authorise the conversion of export entry, subject to the following, namely: –
 - (a) on the basis of documentary evidence, which was in existence at the time the goods were exported;
 - (b) subject to conditions and restrictions for conversion provided in regulation 4;
 - (c) on payment of a fee in accordance with Levy of fees (Customs Documents) Regulations, 1970.
- (5) Subject to the provision of sub-regulation (1), the jurisdictional Commissioner of Customs shall, where it is possible so to do, decide every application for conversion within a period of thirty days from the date on which it is filed.

4. Conditions and restrictions for conversion of export entry.— The conversion of export entry shall be subject to the following conditions and restrictions, namely: -

- (a) fulfilment of all conditions of the instrument based scheme to which conversion is being sought;
- (b) the exporter has not availed or has reversed the availed benefit of the instrument based scheme from which conversion is being sought or reversed the amount of drawback or any other benefit, in case drawback or such scheme is not admissible in the scheme to which conversion is being sought, as the case may be;
- (c) no condition, specified in any regulation or notification, relating to presentation of export entry in the Customs Automated System, has not been complied with;
- (d) no contravention has been noticed or investigation initiated against the exporter under the Act or any other law, for the time being in force, in respect of such exports;
- (e) the export entry of which the conversion is sought is one that had been filed in relation to instrument based scheme, or under drawback or for fulfilment of any export obligation or combination thereof.

5. Reference in any rule, notification, circular, instruction, standing order, trade notice or other order pursuant to the Shipping Bill (Post Export Conversion in relation to Instrument Based Scheme) Regulations, 2022 and any corresponding provisions thereof shall be construed as reference to these regulations.

[F. No. 450/108/2017- Cus. IV]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.